कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.districts.ecourts.gov.in, e-mail: raipur.court@nic.in
Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

निविदा की शर्तें

1– निविदा सीलबंद लिफाफे के उपर "जिला न्यायालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 सुधार हेतु निविदा" लिखी जाकर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायीं ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित कर कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डॉक/कोरियर सेवा के माध्यम से दिनांक 21 नवंबर 2024 के सांय 05:00 बजे तक प्रेषित की जा सकेगी । दिनांक 21 नवंबर 2024 के सांय 05:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त निविदा आवेदन पर ही विचार किया जावेगा ।

2– निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि कय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकतें हैं । निविदा समिति के व्दारा निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में कय समिति के व्दारा निविदा खोली जावेगी ।

3– प्रदाय या परिवर्तित की जाने वाली सामग्री मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदाकर/प्रदायकर्ता फर्म/संस्थान को उसे अपने स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा ।

4– यदि प्रदाय या परिवर्तित की जाने वाली सामग्री में किसी प्रकार की कमी/ खराबी पायी जाती है तो कार्यालय के व्दारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को उक्त खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदान करना होगा ।

5– सी0सी0टी0वी0 सुधार को सामग्री की दर्शित दर पर ही कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। मालभाड़ा, ढुलाई व्यय ईत्यादि निविदाकार स्वयं वहन करेगा ।

6– सामग्री की दर सभी प्रकार के कर को मिलाकर होगी, निविदाकार को सामग्री के पूर्ण विवरण एवं कर ईत्यादि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा । प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का संपूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के अधीन होगा।

7– निविदा अंतिम तिथि के पश्चात् जैसा भी समिति के व्दारा तिथि नियत की जावे,खोली जावेगी यदि किसी अपरिहार्य कारण से निविदा नहीं खोली जा सकी तो आगामी कार्यदिवस पर खोली जावेगी ।

8— जिन फर्मों/ संस्थानों के व्दारा निविदा भरी जावेगी उनको संबंधित कंपनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

9— निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट **https://raipur.dcourts.nic.in** से डाउनलोड की जा सकेगी ।

10— सामग्री प्रदाय किये जाने के पश्चात् उसके इंस्टालेशन एवं वारंटी अवधि में आई किसी तकनीकी खराबी हेतु कंपनी से समन्वय का कार्य सफल निविदाकार व्दारा किया जावेगा ।

11— सफल निविदाकार को राशि का भुगतान सी0सी0टी0वी0 उपकरणों के सफल इंस्टालेशन एवं कार्यशील होने पर ही कार्यालय की संतुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा ।

07.11.2024

अध्यक्ष
क्रय समिति
कार्या0—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

//निविदा आवेदनपत्र का प्रारूप//

जिला न्यायालय,रायपुर परिसर में सी0सी0टी0वी0 सुधार के संबंध में निविदा ।

कमांक	विवरण	संस्था/फर्म/निविदाकार के व्दारा दी जाने वाली जानकारी
1	संस्था/फर्म का नाम	
2	संस्था/फर्म के संचालक का नाम	
3	संस्था/फर्म का रजिस्टर्ड पता	
4	दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	पेन कार्ड का नबंर	
6	TIN नंबर	
7	TAN नंबर	
8	अधिकार प्रमाणपत्र	
9	अन्य विवरण जो आवश्यक हो	
	सी0सी0टी0वी0 सुधार का विवरण	
	सामग्री का नाम	प्रस्तावित दर (केवल एक नग का)
1	हार्डडिस्क 1 टी0बी0	
2	एडॉप्टर प्रति नग का मूल्य	
3	(बुलेट अथवा डोम)कैमरे में सुधार का मूल्य	
4	स्विचर का मूल्य	
5	केबलिंग सुधार का मूल्य	
6	स्मार्ट टी0वी0 (यदि आवश्यक हो तो) मॉडल सहित मूल्य	
7	(बुलेट अथवा डोम) कैमरे का मूल्य (यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो) मॉडल सहित मूल्य	

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म/संस्था की सील